राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ..482 / 2010 ....जिला.........जयपुर...............................

उनवान – मैसर्स एम.एम.टी.सी लि0, जयपुर **बनाम 1.**उपायुक्त(अपील्स)द्वितीय,वा.क.जयपुर 2. सहायक आयुक्त वृत राज. जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व त अहकाम जो इ की तामील में
12 / 04 / 2017	**खण्डपीठ** **श्री खेमराज, अध्यक्ष** **श्री के.एल.जैन, सदस्य** पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी व्यवसायी के विद्वान अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा एवं प्रत्यर्थी विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह उपस्थित। अपीलार्थी–व्यवसायी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.01.2010 कि विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त,वाणिज्यिक कर विशेष वृत राज. जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश 31.3.2006 से अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार करते हुए, प्रकरण पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। उभयक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा यह अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 01.01.2010 कि विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने प्रकरण पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था। सशक्त अधिकारी ने अपीलीय अधिकारी के आदेश की पालना में पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.12.2011 पारित कर दिया है जिससे सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2006 सारहीन हो गया है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.01.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय सुनाया गया। 12/4/2017 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	